UPCOS प्रणाली कार्यप्रवाह

मांग सृजन से उम्मीदवारों की नियुक्ति एवं नियुक्ति से वेतन वितरण तक

UPCOS प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एडमिन द्वारा समस्त विभागों को पोर्टल पर दर्ज करना।

UPCOS प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एडमिन द्वारा इम्पैनलेड वेंडरों/एजेंसियों को ऑन-बोर्ड कर विभागीय मांग के सापेक्ष आवंटित किया जाना ।

चरण 1: लाइन विभाग द्वारा ऑउटसोर्स कर्मियों हेतु मांग सृजन

चरण 2 सृजित मांग पर विभागाध्यक्ष (HOD) की स्वीकृति

चरण 3 UPCOS द्वारा मांग पर स्वीकृति एवं पोर्टल पर (Empaneled) वेंडर को आवंटित करना

चरण 4 वेंडर द्वारा API के माध्यम से सेवायोजन पोर्टल द्वारा आवश्यकतानुसार कर्मियों का विवरण प्राप्त करना

चरण 5 सेवायोजन पोर्टल API अगले स्तर की स्क्रीनिंग हेतु मांग के सापेक्ष 3 गुना (3X) संख्या में उम्मीदवारों का विवरण प्रदान करता है

चरण 6 वेंडर द्वारा सेवायोजन पोर्टल से प्राप्त उम्मीदवारों का विवरण सृजित मांग करने वाले विभाग को अग्रेषित (फॉरवर्ड) किया जाता है

चरण 7 नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी (D1 से D4) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगी एवं UPCOS चयन नीति के अनुसार उनकी योग्यता, अनुभव एवं पात्रता मानदंडों के आधार पर प्रत्येक उम्मीदवार को अंक आवंटित करेगी

चरण 8 विभाग द्वारा वेंडर को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण सूचित करना

यदि स्क्रीनिंग के पश्चात् कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार जो की आवश्यक उम्मीदवारों की संख्या से कम है, तो वेंडर पुनः API के माध्यम से शेष उम्मीदवारों की संख्या को सेवायोजन पोर्टल पर API के माध्यम से प्राप्त करेगा

चरण 9 वेंडर द्वारा उम्मीदवारों को नियुक्ति तिथि (Joining Date) की जानकारी के साथ नियुक्ति पत्र (Appointment letter) जारी किया जाएगा

चरण 10 नियुक्ति के पश्चात, पेरोल सृजन हेतु विभाग द्वारा हर महीने की 29वें दिनांक से पूर्व उपस्थिति एवं अवकाश का रिकॉर्ड वेंडर को भेजा जाता है

चरण 11 वेंडर प्रत्येक माह की 5 तारीख या उससे पूर्व ऑउटसोर्स कर्मियों के वेतन की गणना कर वितरित करेगा, जिसमें EPF और ESIC जैसी वैधानिक कटौतियां शामिल होंगी।

चरण 12 वेंडर द्वारा EPFO एवं ESIC पोर्टल की API के माध्यम से मासिक EPF/ESIC कटौतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है

चरण 13 वेंडर द्वारा पूर्व माह के वितरित किये जा चुके पेरोल एवं सेवा शुल्क हेतु (सर्विस चार्ज) के साथ विभाग को मासिक बिल प्रस्तुत करता है

चरण 14 विभाग द्वारा पूर्व माह के पेरोल की वेतन राशि वेंडर को प्रदान करना एवं UPCOS सेंटेज (प्रतिशत शुल्क) + वेंडर कमीशन UPCOS को प्रदान किया जाता है

चरण 15 वेंडर द्वारा EPF/ESIC अनुपालन (Compliance) साझा करने के साथ हर महीने की 10 तारीख से पूर्व कमीशन प्राप्ति हेतु UPCOS से अनुरोध करेगा

चरण 16 UPCOS वेंडर द्वारा प्रस्तुत (जमा किए गए) EPF /ESIC अनुपालन का सत्यापन करता है एवं वेंडर का कमीशन उसको प्रदान करता है

चरण 17 सभी हितधारक समूहों हेतु रियल-टाइम एम.आई.एस डैशबोर्ड

चरण 18 शिकायत दर्ज करना – स्वचालित अग्रेषण, समाधान की ट्रैकिंग